fodkl vk;qDr dk;kZy;
NÙkhlx<] jk;iqj

foKkiu Øekad 46 @1399@fo&3@xzk-;k-lsok@2013@jk;iqj] fnukad 01@01@2014

vkWuykbZu vkosnu djus dh frfFk fnukad 06-01-2014 e/;kUg 12%00 cts ls fnukad 28-01-2014 jkf= 11-59 cts rd

भारतीय नागरिक और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के उम्मीद्वारों से छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग mivfHk;ark ¼flfoy½ के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निम्नांकित रिक्त बैकलाग पदों के लिए vkWuykbZu आवेदन पत्र **http://cg.nic.in/resworks** पर आमंत्रित किये जाते हैः–

Ø-	fooj.k	vukjf{kr	v-tk-	v-t-tk-	v-fi-oxZ	;ksx
1	कुल रिक्त पद	0	49	172	0	221
2	मुक्त	0	22	105	0	127
3	महिला	0	21	55	0	76
4	विकलांग (निःशक्तजन)	0	6	12	0	18
5	भूतपूर्व सैनिक	0	0	0	0	0

^^ inksa dh la[;k ifjorZuh; gS**

¼1-½ inksa dk fooj.k %&

¼v½ lsok Js.kh%& तृतीय श्रेणी कार्यपालिक

¼c½ osrueku :– रुपये 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते।

(स) vko';d 'kS{kf.kd vgZrk:– 3 वर्षीय डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग विषय में अथवा उच्च शैक्षणिक योग्यता।

¼2-½ ik=rk dh 'krsZa %&

(अ) – आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।

(ब) – छत्तीसगढ़ के किसी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट रहेगी)

(स) – आवेदन करते समय आवेदक के पास सभी वांछित अर्हता पूर्ण हो। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि को न्यूनतम् शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र एवं जीवित रोजगार पंजीयन नहीं है, वे कृपया आवेदन न करें।

¼3-½ vk;q lhek¼& दिनाँक 01-01-2014 को 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष हो, किन्तु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3, रायपुर, दिनाँक 27.09.2013 में दिये गये निर्देशानुसार NÙkhlx< jkT; d LFkkuh;@ey fuokLh vH;fFk;k d fy, vf/kdre vk;q ,d ckj d fy, ¼dy.Mj o"k 2014 e fu;fDr gr½ 35 o"k d LFkku ij 40 o"k gkxhA

mPpre vk;q lhek e NV¼&

^^fo'k"k NV**&निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीद्वारों को अधिकतम् आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगीः–

(3) (एक) (1) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(3) (एक) (2) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी /अस्थायी /वर्क चार्ज या कंटिन्जेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत् कार्यरत् कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(3) (एक) (3) ऐसा अभ्यार्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि रही हो, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, आयु सीमा में अधिकतम तीन वर्ष के छूट की पात्रता होगी।

Li"Vhdj.k¼ ''छटनी किये गये शासकीय सेवक'' से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(3)(एक) (4) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले यह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(3)(एक) (5) महिलाओं के लिये आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी।

(3)(एक) (6) विधवा तथा विधि अंतर्गत् तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम् आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट होगी।

(3)(एक) (7) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–1–2/2002/1/3, दिनाँक 02.06.04 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षा कर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा वह छूट अधिकतम् 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु

सीमा में विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है (अनु.जाति, अनु.जन.जाति, अ.पि.व., महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

(3)(एक (8) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम् आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट तीन वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(3) एक (9) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के निर्देश क्रमांक एफ 3–2 /2002/1–3 दिनांक 30.01.2012 अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारियों /कर्मचारियों को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक छूट का लाभ दिया जावेगा, अर्थात निर्धारित आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगा, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है, यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी ।

(3)(दो) (1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत् ग्रीन कार्ड धारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत् पुरस्कृत दंपत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/18/85/3/1, दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

Vhi%& ¼v½ fcUnq Øekad 3 ¼,d½ esa vf/kd ykHkdkjh okyh ,d gh NwV feysxhA

¼c½ fcUnq Øekad 3 ¼nks½ ds varxZr iksRlkguLo:i vf/kdre vk;q lhek esa fofHkUu dk;kZ@;kstukvksa ds varxZr nh xbZ NwVksa esa ls ;fn dksbZ vkosnd ,d ls vf/kd NwVksa dk vk/kkj j[krk gS rks mls vk;q lhek esa lokZf/kd ¼vf/kdre½ ykHk okys fdlh ,d vk/kkj ¼iksRlkgu okys½ ds fy;s n; NwV feysxhA ;g NwV fcUnq Øekad ¼,d½ esa nh xbZ fo'ks"k NwV ds vfrfjDr gksxhA

mnkgj.k%& यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ ग्रीन कार्ड धारक तथा विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जायेगी। ग्रीन कार्ड अथवा अंतर्जातीय विवाह के निर्धारित छूट नहीं दी जायेगी। यदि अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक केवल ग्रीन कार्ड धारक हो तो उन्हें अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट के साथ ग्रीन कार्ड धारकों के लिए 2 वर्ष की और अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा। अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतर्जातीय विवाह के निर्धारित

आयु की छूट नहीं दी जावेगी। समस्त छूट के पश्चात् उम्मीद्वार की आयु अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण न करता हो ।

¼l½ उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम् आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी, परन्तु उपरोक्त सभी प्रकार की छूट मिलाकर भी अधिकतम् आयु–सीमा 01 जनवरी, 2014 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

¼4-½ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विभाग द्वारा निर्धारित सत्यापन तिथि को प्रस्तुत करना होगा ।

¼5-½ इस पद हेतु आपके आवेदन का परीक्षण उपरांत समस्त शर्तों की पूर्ति होने पर आपका आवेदन प्रवीण्य सूची में शामिल किया जावेगा।

¼6-½ fu;kDrk dk vukifÙk iek.k&i= ¼&

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत् शासकीय सेवक तथा विभिन्न नगर निगमों /मण्डल, राज्य शासन के उपक्रम /अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके निजी उपक्रम की सेल में कार्यरत् अथवा राष्ट्रीकृत/अराष्ट्रीकृत बैंक अथवा निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत् आवेदक अपने आवेदन पत्र ऑनलाईन आवेदन करेंगे, परन्तु इसके तुरन्त पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को अनापत्ति प्रमाण पत्र सीधे विभाग को भेजने के लिए निवेदन भी कर देना चाहिए, जिसकी प्रति आवेदक को नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्ति की अभिस्वीकृति सहित सत्यापन के समय विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

¼7½- p;u ifØ;k¼&

(i) अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता (65 अंक), अनुभव (30 अंक) तथा साक्षात्कार (5 अंक) के माध्यम से किया जावेगा । वितरण निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

¼v½ U;ure 'k{kf.kd ;kX;rk grq vdk dk forj.k ¼&

45 प्रतिशत से कम अंक हेतु – 15 अंक

45% या अधिक परन्तु 50% से कम अंक हेतु – 20 अंक

50% या अधिक परन्तु 55% से कम अंक हेतु – 25 अंक

55% या अधिक परन्तु 60% से कम अंक हेतु – 30 अंक

60% या अधिक परन्तु 65% से कम अंक हेतु – 35 अंक

65% या अधिक परन्तु 70% से कम अंक हेतु – 40 अंक

70% या अधिक परन्तु 75% से कम अंक हेतु – 45 अंक

75% या अधिक परन्तु 80% से कम अंक हेतु – 50 अंक

80% या अधिक परन्तु 90% से कम अंक हेतु – 55 अंक

90% या अधिक अंक हेतु – 60 अंक

टीपः– उपअभियंता (सिविल) पद हेतु सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होने पर अतिरिक्त अंक–5 अंक। अन्य किसी भी प्रकार की डिग्री हेतु कोई अंक नहीं दिया जावेगा, अन्य विज्ञापित पदों के लिए यह टीप लागू नहीं होगा।

¼c½ vuHko grq 30 vadk dk forj.k %&

अनुभव हेतु अंकों का वितरण राज्य शासन के किसी भी विभाग या शासकीय उपक्रम में संविदा में जो उपअभियंता/सहायक अभियंता/तकनीकी सहायक के पद पर कार्यानुभव है उन्हें निम्नानुसार अनुभव होने पर अंक दिया जावेगाः–

d-	vuHko	vad
1	1 वर्ष या अधिक परन्तु 2 वर्ष से कम अनुभव	10
2	2 वर्ष या अधिक परन्तु 3 वर्ष से कम अनुभव	20
3	3 वर्ष या अधिक अनुभव	30

¼l½ lk{kkRdkj d 5 vadk dk forj.k %&

चयन समिति में 3 सदस्य रखे जावेंगे जो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होंगे। साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा 5 अंकों के आधार पर अंक दिये जायेंगे । साक्षात्कार में उपरोक्त सभी तीन सदस्यों द्वारा दिये गये अंको के योग के आधार पर निकाले गये औसत अंक अभ्यर्थियों को प्राप्त अंक माने जायेंगे ।

उपरोक्तानुसार शैक्षाणिक योग्यता/अनुभव/साक्षात्कार के कुल 100 अंकों में से प्राप्त अंको के आधार पर प्रवीण्य सूची बनाई जावेगी ।

(ii) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(iii) चयन हेतु अभ्यर्थी की प्रात्रता /अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, विकास आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को होगा।

(iv) चयनित उम्मीद्वार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(v) चयनित उम्मीद्वार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जायेगा।

(vi) चयनित उम्मीद्वार का चारित्रिक सत्यापन उनकी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् पुलिस से कराया जायेगा और पुलिस से सेवा अयोग्य प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

(vii) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

(viii) चयनित उम्मीद्वार की पदस्थापना, छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं भी की जा सकती है।

(ix) चयनित उम्मीद्वारों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी।

¼8½- vi.k vFkok =fVi.k tkudkjh &

प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वे विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिये सभी खानों को भली प्रकार देखकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें । यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये, आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा ।

¼9½- vkonu dh i fØ;k ½&

(i) आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किये जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजा गया आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

(ii) ऑनलाईन आवेदन दिनाँक 06.01.2014 को दोपहर 12:00 बजे से दिनाँक 28.01.2014 रात्रि 11:59 बजे तक **http://cg.nic.in/resworks** में किया जा सकेगा।

(iii) आवेदक को निम्नांकित प्रमाण पत्र, विभाग द्वारा निधारित तिथि, जिसे समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किया जावेगा, को सत्यापन के लिए इस कार्यालय में उपस्थित होकर अनिवार्यतः उपलब्ध कराना होगा, किसी अन्य तिथि अथवा बाद में दिये गये प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा :–

(अ) ऑनलाईन आवेदन की स्वहस्ताक्षरित हार्ड कापी ।

(ब) जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए सामान्यतः हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकूलेशन सर्टिफिकेट अथवा समकक्ष अर्हता का प्रमाण पत्र।

(स) शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण पत्र।

(द) हाईस्कूल /हायरसेकण्डरी तथा उसके बाद की उन सभी सार्वजनिक परीक्षाओं के प्रमाण पत्र, जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है।

(ई) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित प्राधिकारी का प्रमाण पत्र। (यदि इस आधार पर कोई रियायत चाही गई हो तो अनिवार्य रूप से संलग्न करें।) विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। सत्यापन के समय सक्षम अधिकारी से जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र के अभाव में उम्मीद्वारी समाप्त की जाएगी।

(य) उपरोक्त कण्डिका 3 एक (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8) के अंतर्गत् उच्चतम् आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये नियोक्ता अधिकारी /सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ।

(र) कंडिका–3 (एक) (6) के अंतर्गत् उच्चतम् आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र।

(ल) कंडिका– 3 (दो) (1) के अंतर्गत् उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिए ग्रीनकार्ड।

(व) कंडिका– 3 दो (2) के अंतर्गत् आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट /सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट का प्रमाण–पत्र।

(श) कंडिका–3 दो (3) के अंतर्गत् आयु सीमा में छूट के लिए ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

टीपः– अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे समय–समय पर विभागीय वेबसाईट का अवलोकन करते रहें। किसी प्रकार की सूचना में विलंब के लिए विभाग जवाबदेह नहीं होगा।

(विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

11/1/2014

(एम.एल.हल्दकार)
मुख्य अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़, रायपुर